By Speed Post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

क्रमांक एफ 4–55 / 2017 / XII. नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–बी,
द्वितीय तल, नया रायपुर।

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट नं. 11, रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु मेसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2016.

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 7134 / MCC-3/ML-3 / दंतेवाड़ा / 2016, दिनांक 10.10.2017.

—:0:—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मेसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत बैलाडीला डिपॉजिट–11 के कुल रकबा 874.924 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2016 राज्य शासन के निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है।

2/ NMDC के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश द्वारा बैलाडीला डिपॉजिट–11 के कुल रकबा 1809.23 हेक्टेयर क्षेत्र पर 30 वर्ष की अवधि के लिये खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था, जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 11.09.1967 को किया गया था।

3/ NMDC के प्रथम नवीनीकरण आवेदन दिनांक 16.05.1996 के परिप्रेक्ष्य में संस्थान द्वारा वन विभाग को समर्पित क्षेत्र 892.216 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र दो भागों में (16.207 हेक्टेयर एवं 858.717 हेक्टेयर) छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 29.06.2002 द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत की गई, जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 17.10.2005 को किया गया।

4/ NMDC द्वारा डिपाजिट–11 के सम्पूर्ण रकबा 874.924 हेक्टर पर द्वितीय नवीनीकरण हेतु दिनांक 09.09.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

जिला / तहसील	वनमंडल / वनपरिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक (पुराना)	कक्ष क्रमांक (नया)	आवेदित क्षेत्र का कुल रकबा (हेक्टर में)	डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स (टोपोशीट क्रमांक 65 F / 6)		
					Points	Longitude	Latitude
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा / दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपाजिट नं. 11	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा / दंतेवाड़ा	638	1856	86.610	A112	81°14'6.79" E	18°41'21.42" N
		639	1860	0.892	A113	81°14'29.23" E	18°41'19.63" N
		640	1854	28.468	A114	81°14'28.60" E	18°41'16.16" N
		641	1853	206.072	A115	81°14'27.78" E	18°41'13.52" N
		642	1852	123.634	A116	81°14'26.88" E	18°41'11.19" N
		643	1849	116.009	A117	81°14'6.36" E	18°41'13.52" N
		645	1848	11.419	A95	81°15'18.03" E	18°38'34.82" N
		654	1847	28.156	A94	81°15'17.36" E	18°38'37.91" N
		655	1850-	58.239	A93	81°15'16.93" E	18°38'42.12" N
		656	1845	48.057	A92	81°15'17.16" E	18°38'44.41" N
		657	1844	85.255	A91	81°15'16.57" E	18°38'45.81" N
		658	1848	36.459	A90	81°15'15.18" E	18°38'47.42" N
		659	1842	41.330	A89	81°15'14.39" E	18°38'49.08" N
		660	1843	5.327	A88	81°15'12.19" E	18°38'54.71" N
			कुल	874.9240	A87	81°15'5.49" E	18°39'0.96" N
					A86	81°14'47.90" E	18°38'56.23" N
					A85	81°14'27.73" E	18°39'5.03" N
					A84	81°14'20.78" E	18°39'50.03" N
					A83	81°13'38.58" E	18°40'6.28" N
					A82	81°13'32.96" E	18°40'45.31" N
					A81	81°13'40.52" E	18°40'45.27" N
					A37	81°13'44.30" E	18°41'23.19" N
					A80	81°13'7.02" E	18°41'26.17" N
					A79	81°13'13.22" E	18°40'5.57" N
					A78	81°13'34.72" E	18°39'5.20" N
					A77	81°13'50.34" E	18°39'5.27" N
					A64	81°13'54.63" E	18°37'34.60" N
					A74	81°14'32.32" E	18°38'25.06" N
					A75	81°15'17.31" E	18°38'31.86" N

.........2

5/ NMDC को प्रश्नाधीन खनिपट्टा दिनांक 11.09.1967 से स्वीकृत है एवं प्रथम नवीनीकरण सहित कुल अवधि 50 वर्ष दिनांक 10.09.2017 को पूर्ण हो रही है। अतः खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम 2015 के नियम के 3(3) परिप्रेक्ष्य में शेष अवधि 20 वर्ष के लिए यथा 11.09.2017 से 10.09.2037 तक (कुल अवधि 70 वर्ष) के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रकरण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 10.10.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

6/ संस्थान से MM(D&R) Act 1957 की धारा 5(2)(b) के अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र का अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान की प्रति तथा डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने बाबत विभागीय पत्र दिनांक 11.12.2017 द्वारा लिखा गया था जिसके संदर्भ में आवेदक संस्थान ने आई.बी.एम. रायपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति तथा डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराई है।

7/ खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम–3 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

"3. **12 जनवरी, 2015 से पूर्व सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रवृत्त खनन पट्टे की अवधि.–**

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के प्रारंभ की तारीख अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व किसी सरकारी कंपनी या निगम को प्रदत्त खनिजों के लिए सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त किए गए समझें जाएंगे।

(2) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम बारह मास पूर्व इस निमित्त इसे दिए गए आवेदन पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, खनन पट्टे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के लिए एक ही बार विस्तारित कर सकेगी।

(3) उपनियम (1) के अध्यधीन, किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टों के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन और जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के प्रारंभ की तारीख को लंबित थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तारण के लिए आवेदन समझे जाएंगे और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।"

8/ मेसर्स एन.एम.डी.सी. को प्रश्नाधीन खनिपट्टा दिनांक 11.09.1967 से स्वीकृत है एवं प्रथम नवीनीकरण सहित कुल अवधि 50 वर्ष दिनांक 10.09.2017 को पूर्ण हो रही है। जिला कार्यालय के प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज लौह अयस्क उपलब्ध है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. भारत सरकार का शासकीय उपक्रम है।

9/ अतएव उपरोक्त पैरा में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्द्वारा, पैरा–4 की तालिका में दर्शित जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट नं. 11, रकबा 874.924 हेक्टे. क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क के स्वीकृत खनिपट्टा को मेसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3(3) के परिप्रेक्ष्य में शेष अवधि 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 10.09.2037 तक (कुल अवधि 70 वर्ष) के लिए विस्तारित करता है। तदनुसार खनिपट्टा विलेख का नियमानुसार निष्पादन कर एक प्रति विभाग को प्रेषित किया जाय।

10/ खनिपट्टा स्वीकृति आदेश दिनांक 29.06.2002 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

संलग्नः–नक्शा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

सही/–

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

क्रमांक एफ 4–55 / 2017 / XII,
नया रायपुर, दिनांक 3 MAY 2018

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नया रायपुर, सेक्टर–19, छत्तीसगढ़,
3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़

..........3

4\. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर,

5\. कलेक्टर, जिला--दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़,

6\. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10-3-311/ए. कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद

की ओर उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7\. गार्ड फाईल।

अवर सचिव 3/5/18
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग